दिनांक 28.06.2024
प्रेस विज्ञप्ति 35/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता–2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023, एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 दिनांक 01.07.2024 से लागू किये जाने के संबंध में

भारतीय संसद ने तीन ऐतिहासिक कानूनों भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता. 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 से प्रतिस्थापित करके आपराधिक न्याय प्रणाली में एक परिवर्तनकारी कदम उठाया है। भारतीय मूल्यों पर आधारित ये नए कानून दंडात्मक से न्याय–उन्मुख दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत देते हैं, जो भारतीय न्याय व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है।

औपनिवेशिक युग के कानून ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए बनाये गये थे। इनमें भारतीयों से परामर्श नहीं किया गया था तथा इनमें ब्रिटिश केंद्रित शब्दावली और रूपरेखाएं अंतर्निहित थीं। ये विधायी परिवर्तन आजादी का अमृत महोत्सव की परिणति को चिह्नित करते हैं और अमृत काल की शुरूआत करते हैं जो वास्तव में स्वतंत्र भारत के निर्माण का प्रतीक है।

भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित नये कानून देश भर में लागू करने के लिये दिनाँक 01.07.2024 नियत है। बनाये गये तीन कानून भारतीय न्याय संहिता–2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 क्रमशः भारतीय दण्ड संहिता–1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता–1973 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम–1872 का स्थान लेंगे।

इसका मुख्य लक्ष्य ऐसी आपराधिक न्याय प्रणाली बनाना है जो न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि कानूनी व्यवस्था को भी और अधिक मजबूत बनाती है जिससे सभी के लिए सुलभ एवं त्वरित न्याय सुनिश्चित हो। यह सुधार भारत में एक निष्पक्ष, आधुनिक और न्यायपूर्ण कानूनी ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है

इन नये आपराधिक कानूनो में:–

- अपराध स्थल, विवेचना और विचारण तीनों चरणों में नई तकनीक के उपयोग को महत्व दिया गया है।
- पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी नई तकनीक का भी उपयोग किया गया है।

- इससे न केवल पुलिस विवेचना में पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी बल्कि साक्ष्य की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
- पीड़ित और अभियुक्त दोनों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी।
- सजा की दर 90% रखने का लक्ष्य हासिल करने के लिए, एफएसएल टीम द्वारा घटनास्थल पहुंचकर फॉरेन्सिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य कर दिया गया है।

भारतीय चिंतन पर आधारित न्याय प्रणाली

इन नये कानूनों का उद्देश्य भारतीय कानून प्रणाली में सुधार करना और भारतीय सोच पर आधारित न्याय प्रणाली स्थापित करना है।
नए आपराधिक कानून लोगों को औपनिवेशिक मानसिकता और उसके प्रतीकों से मुक्त करेंगे और हमारे मन को भी उपनिवेशवाद से मुक्त करेंगे।

- यह दंड के बजाय न्याय पर ध्यान केन्द्रित है।
- सबके साथ समान व्यवहार मुख्य विषय है।
- यह कानून भारतीय न्याय संहिता की वास्तविक भावना को प्रकट करते हैं। इन्हें भारतीय संविधान की मूल भावना के साथ बनाया गया है।
- यह कानून व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं।
- यह मानव अधिकारों के मूल्यों के अनुरुप है।
- यह पीड़ित–केन्द्रित न्याय सुनिश्चित करेंगे।
- इन कानूनों की आत्मा न्याय, समानता और निष्पक्षता है।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) के तहत नागरिकों को अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए अपना स्वयं का कानूनी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुलभ बनाया गया है।

नये आपराधिक कानूनों में महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों में कठोर दण्ड के प्राविधान किये गये है साथ ही प्रदेश में इन अपराधों में अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी। आतंकवाद एवं संगठित अपराध से निपटने हेतु विशेष प्रावधान किये गये है। किसी भी व्यक्ति की तस्करी, वेश्वावृत्ति, फिरौती एवं भिक्षावृत्ति के लिये मानव तस्करी को इनमें शामिल करते हुये आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक के प्रावधान किये गये हैं। 124ए (राजद्रोह) को समाप्त कर धारा 152 जोड़ी गयी है जो भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखण्डता को खतरे में डालने वाले कारक से संबंधित है।

तीन नये कानूनो का प्रशिक्षण

विश्व के सबसे बड़े पुलिस संगठन को प्रशिक्षण देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में आईपीएस, पीपीएस अधिकारियों को मुख्यालय स्तर पर एवं निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी को

जिला स्तर पर वृहद सेन्ट्रलाइज्ड ट्रेनिंग करायी जा रही है तथा बुकलेट एवं वीडियों बनवाकर जनपदो/थानो को भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि जहाँ एक ओर लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 का चुनाव सकुशल सम्पन्न कराने हेतु उ0प्र0 पुलिस के लिए एक बडी चुनौती थी, वही पुलिस कार्मिकों को समय से नये कानून हेतु प्रशिक्षित कराना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय था, किन्तु प्रदेश पुलिस द्वारा आम चुनाव–2024 को सकुशल सम्पन्न कराने के साथ–साथ प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा तैयार किये गये नये कानून के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाते हुए आईपीएस/पीपीएस एवं पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु 100 प्रतिशत, मास्टर ट्रेनर, निरीक्षक/उपनिरीक्षक अध्यापक(पैडागाजी) 100 प्रतिशत, निरीक्षक ना0पु0–97.5 प्रतिशत, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष 92 प्रतिशत, उपनिरीक्षक ना0पु0 93 प्रतिशत, मुख्य आरक्षी/आरक्षी ना0पु0(प्रधान लेखक/लेखक) 100 प्रतिशत, वीट मुख्य आरक्षी/आरक्षी 76 प्रतिशत तथा सांइटिस्ट, प्रासीक्यूटर, जेल, जुडिसियल आफिसर्स, मेडिकल आफिसर्स एवं उनके स्टाफ तथा आईएएस, पीसीएस (एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट) आदि को काफी संख्या में प्रशिक्षण कराया जा चुका है। प्रदेश के सभी जनपद/कमिश्नरेट में वीट मुख्य आरक्षी/आरक्षी का प्रशिक्षण कार्य प्रतिदिन चल रहा है। शेष सभी वीट मुख्य आरक्षी/आरक्षी का प्रशिक्षण कार्य दिनॉकः 30.06.2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रशिक्षण के क्रम में दिनांक 27.06.2024 को पुलिस मुख्यालय गोमती नगर विस्तार में नये आपराधिक कानूनो के सम्बन्ध में मीडिया बन्धुओ को संवेदनशील बनाने के लिए एक सफल कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमे मीडिया बन्धुओ से वार्ता कर नये कानूनो के बारे में जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण निदेशालय के उपस्थित अधिकारियों द्वारा मीडिया बन्धुओ के जिज्ञासा भरे प्रश्नो का उत्तर दिया गया तथा मीडिया बन्धुओ द्वारा नये कानूनो की जानकारी के सम्बन्ध में रूचि दिखाते हुए बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया गया।

- फॉरेन्सिक के कार्यो में काफी संशोधन किया गया है तथा मैन पावर बढ़ाने, वाहनो तथा इलेक्ट्रानिक उपकरणो की बढोत्तरी हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
- शासन द्वारा प्राप्त बजट को डी–सेन्टलाइंज्ड करते हुए विभिन्न उपकरणो एवं साफ्टवेयर की खरीदारी हेतु जनपदो को भेजा जा रहा है।
- तकनीकी मुख्यालय द्वारा सीसीटीएनएस को अपग्रेड करते हुए 23 पैच और 07 इनपुट फार्म प्राप्त किया गया है तथा प्रासिक्यूसन एण्ड ई–प्रीजन साफ्टवेयर को भी अपग्रेड किया गया है। नए उपकरणों के क्रय, CCTNS के कार्यों के समन्वय एवं प्रचार प्रसार सामग्री का आलेखन व पम्पलेट तैयार करने हेतु एडीजी पुलिस मुख्यालय, एडीजी तकनीकी सेवाएं एवं डीजी प्रशिक्षण के कार्यालय में नोडल अधिकारी को नामित किया गया है जो इन कानूनों को लागू करने में सहयोग एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

- अभियोजन निदेशालय द्वारा नये कानून के संबंध में अधिक से अधिक संख्या में पम्पलेट छपवाकर जनपद/थाने स्तर पर वितरित कराया गया है तथा पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा एक्स (ट्वीटर) पर प्रतिदिन नये कानून का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा आकाशवाणी व विभिन्न टीवी चैनलों/समाचार पत्रों को इण्टरव्यू के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दो में आम जनता तक नये कानूनो की जानकारी देने का प्रयास किया गया है।

दिनांक 1 जुलाई 2024 से भारत सरकार के आदेश के अनुक्रम में तीन नए कानून– भारतीय न्याय संहिता–2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 लागू किये जायेंगे। इसके साथ ही इन नये कानूनों में नियत प्राविधानों को दैनिक कार्य प्रणाली में शामिल किया जायेगा।

BPR&D तथा NCRB द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2024 को इन कानूनों के लागू किये जाने के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार हेतु कार्य योजना तैयार की गई है, जो ठच्त्–क के वेबसाइट पर उपलब्ध है।कार्य योजना के अनुसार ही सारे कार्यक्रम निर्धारित तिथि को कराये जाएँ।

NCRB ने एक मोबाइल ऐप 'NCRB आपराधिक कानूनों का संकलन लॉन्च किया है जो Google Play Store और Apple App Store पर उपलब्ध है। यह ऐप सभी के लिए उपयोगी है और नए आपराधिक कानूनों पर एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। यह नए कानूनों के सभी अध्यायों और धाराओं को जोड़ने वाला एक सूचकांक प्रदान करता है और त्वरित सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए खोज और लिंकिंग सुविधा के साथ पुराने और नए कानूनों के बीच धारावार तुलना के लिए एक संबंधित चार्ट प्रदान करता है। इस ऐप को ऑफलाइन मोड में काम करने के लिए बनाया गया है। NCRB द्वारा "संकलन ऐप" के माध्यम से नये कानूनों की प्रतियाँ भी उपलब्ध कराई गई है तथा अपेक्षा की गई है कि पुलिस विभाग की समस्त इकाइयों द्वारा नोडल अधिकारी को नामित किया जाए, जो इन कानून के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु समन्वय स्थापित करेंगे। इस सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर पर नोडल अधिकारियों को नामित करते हुये जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

दिनांक 01.07.2024 को लागू किये जा रहे तीन नये कानून के कार्यकम–

मुख्यालय स्तर पर प्रख्यापित नये कानूनों के सफल क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी नामित करते हुए समन्वय समिति का गठन किया गया है, जिनके द्वारा नये कानूनों के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की उत्पन्न होने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का निवारण किया जायेगा तथा थाना, सर्किल, कमिश्नरेट/जिला मुख्यालय, परिक्षेत्र एवं जोन स्तर पर समन्वय समिति का गठन किया जा रहा है जो दिनांक 01.07.2024 से

लागू हो रहे नये कानूनों के सफल क्रियान्वयन में आने वाली किसी भी कठिनाईयों को दूर करने के लिये सर्वसम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर कठिनाई को दूर करेंगे ताकि नये कानून को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके।

दिनांक 01.07.2024 से लागू होने वाले तीन नये आपराधिक कानूनों को प्रदेश के सभी पुलिस थानों पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा जिसमें थाना क्षेत्र के गणमान्य/सम्भ्रान्त व्यक्तियों को सम्मिलित होने के लिये आमंत्रित किया जायेगा। कार्यक्रम में नये कानूनों के बारे में थाना प्रभारियों द्वारा आमंत्रित सदस्यों को विस्तार से अवगत कराया जायेगा तथा थाने में नियुक्त महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित अपराधों के सम्बन्ध में जानकारी दी जायेगी। आयोजन के समापन के समय राष्ट्रीय गान गाया जायेगा।

दिनांक 01.07.2024 को उक्त के अतिरिक्त थाने क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर बैनर/पोस्टर लगाये जायेंगे एंव इस आयोजन में सम्मिलित होने वाले सम्भ्रान्त व्यक्तियों, स्थानीय पत्रकारों को नये कानूनों के सम्बन्ध में तैयार किये गये पम्पलेटों का वितरण किया जायेगा तथा स्थानीय स्तर पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो के माध्यम से भी नये कानूनों के प्राविधानों का प्रचार– प्रसार कराया जायेगा। जनता में जागरूकता हेतु सोशल मीडिया पर नये कानूनों के लागू किये जाने के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार प्रसार कराया जायेगा। पुलिस मुख्यालय स्तर से भी प्रचार प्रसार संबंधी पंपलेट तैयार कर सोशल मीडिया के माध्यम से सभी इकाइयों को प्रेषित किया गया है। थाना स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों से सम्बन्धित फोटो और वीडियो भी तैयार कर ई–फाइल में सरंक्षित की जायेगी।

दिनांक 28.06.2024
प्रेस विज्ञप्ति 36/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को "आपरेशन जागृति" के सम्बन्ध में डायरेक्टर आईआईएम इन्दौर द्वारा तैयार "इम्पैक्ट एसेसमेंट रिपोर्ट" की बुकलेट उपलब्ध करायी गयी।

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को आज दिनांक 28.06.2024 को आईआईएम इन्दौर के श्री नवीन कृष्ण राय ने **"आपरेशन जागृति"** के सम्बन्ध में डायरेक्टर आईआईएम इन्दौर द्वारा तैयार **"इम्पैक्ट एसेसमेंट रिपोर्ट"** की बुकलेट उपलब्ध करायी गयी। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा **"आपरेशन जागृति"** की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से महिलाओं एवं बालिकाओ में महिला सम्बन्धी अपराधों के प्रति जागरूकत्ता बढ़ती है तथा महिलाओ की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

'ऑपरेशन जागृति' फेज–01 का Third Party Impact Assessment प्रोफेसर हिमाँशु राय, डायरेक्टर आईआईएम इन्दौर द्वारा किया गया है। उक्त रिपोर्ट को तैयार करने में आईआईएम इन्दौर के डॉ0 भवानी शंकर, डॉ0 शिवानी शर्मा एवं श्री नवीन कृष्ण राय का सहयोग रहा। IIM Indore द्वारा आगरा जोन के सात जनपदों में रिसर्च टीम भेजकर सर्वे किया गया।

IIM Indore द्वारा एसेसमेंट रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि **"आपरेशन जागृति"** के मूल्यांकन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऑपरेशन जागृति ने जमीनी स्तर पर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डाला है। ऑपरेशन जागृति में विभिन्न विभागों के अग्रणी/जमीनी कर्मचारियों जैसे– बीट कॉस्टेबलों (पुलिस विभाग), आशा (स्वास्थ्य विभाग), शिक्षक (शिक्षा विभाग), पंचायत सचिव (पंचायत विभाग) आदि का उपयोग करते हुए समाज के कमजोर वर्गो तक एक व्यापक और प्रभावी पहुँच सुनिश्चित की और साथ ही सभी सरकारी विभागों के बीच सामंजस्यपूर्ण समन्वय का निर्माण किया। इसमे विभिन्न विभागों के प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक स्पष्ट भूमिका थी, साथ ही एक स्पष्ट उत्तरदायित्व भी था और एक सतत Feedback तंत्र भी था। कार्यक्रम के दौरान प्रकाश में आईं Success Stories और व्यापक मीडिया प्रशंसा इस कार्यक्रम के प्रभाव को इंगित करती है।" IIM Indore Assessment रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के आधार पर ऑपरेशन जागृति के फेज–02 के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन वर्तमान में प्रचलित है।

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 की प्रेरणा एवं पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में 4 चरणो में मिशन शक्ति अभियान चलाया गया, जिसके प्रभाव से महिलाओ के प्रति हिंसा व अपराध में कमी आयी। मिशन शक्ति अभियान से प्रेरणा लेते हुए, आगरा जोन में अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा जोन के निर्देशन में 'ऑपरेशन जागृति' (Intensive Community Outreach for Empowering Women & Girls for Safety and Awareness) कार्यक्रम UNICEF के कोर्डिनेशन में पुलिस द्वारा अन्य सम्बन्धित विभागो जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार (ICDS), युवा एवं खेल विभाग, मनोवैज्ञानिक/काउन्सलर्स के समन्वय से संचालित किया जा रहा है। जिसमें 04 प्रमुख उद्देश्यों पर फोकस किया जा रहा है– अपराध पीड़िताओं को Support/Counselling उपलब्ध कराना; महिलाओं को मोहरा बना कर पारिवारिक एवं सम्पत्ति के मामलों में महिला संबंधी धाराओं का समावेश कर अभियोग पंजीकृत कराने के दुष्प्रभावों से अवगत कराना; युवक एवं युवतियों एवं उनके अभिभावकों को elopement, प्रेम संबंधों एवं लैगिंक उत्पीड़न के संबंध में जागरुक करना एवं उनकी काउन्सलिंग कराना; साइबर बुलिंग एवं साइबर क्राइम के खतरों के प्रति जागरुक करना।

उक्त चारों उद्देश्यों के साथ **'ऑपरेशन जागृति'** को आगरा जोन की समस्त 3924 ग्राम पंचायतों एवं समस्त स्कूल–कालेजों तथा शहरी वार्डो/स्लम बस्तियों में व्यापक Outreach के माध्यम से ग्रास रूट लेवल पर लक्षित जनसमुदायों को जागरुक एवं प्रेरित करने व उनको सपोर्ट/काउन्सलिंग उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस अभियान के फेज–01 का औपचारिक शुभारंभ 01 नवम्बर 2023 को जनपद मथुरा से किया गया एवं तत्पश्चात जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के बाद ग्राम पंचायत/स्कूल–कालेज/शहरी वार्ड स्तर पर क्रियान्वयन शुरू किया गया। इस अभियान के फेज–01 का क्रियान्वयन दिनांक 01.11.2023 से 24.01.2024 के मध्य किया गया तथा इस अभियान के फेज–02 का क्रियान्वयन दिनांक 24.06.2024 से दिनांक 13.07.2024 के मध्य किया जा रहा है।

'ऑपरेशन जागृति' के तहत अब तक उपरोक्त ग्रासरूट लेवल कार्यक्रमों के द्वारा जोन के समस्त 3924 ग्राम पंचायतों, 2100 विद्यालयों एवं 1600 से अधिक शहरी वार्डो में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से 13 लाख से अधिक जनसमुदाय जिनमें मुख्य रूप से महिलाएं व युवक/युवतियॉ व उनके अभिभावक सम्मिलित है, के साथ संवाद स्थापित किया गया एवं उनको जागरूक किया गया है। 'ऑपरेशन जागृति' के तहत आगरा जोन

के सभी 07 जनपदों में लोकेशन आधारित उपस्थिति (Geo tagging) के माध्यम से एकतित्र डेटा के अनुसार समस्त 3924 ग्र्रम–पंचायतों, 2015 स्कूल/कॉलेजों, 1621 वाडो में जागरूकता अभियान आयोजित किये गये, जिसमें 12 लाख से अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र की 3,53,355 बालिकायें, 18 वर्ष से कम उम्र के 2,99,119 बालक, 18 वर्ष से अधिक उम्र की 3,36,168 महिलायें तथा 18 वर्ष से अधिक उम्र के 2,60,138 पुरुष शामिल रहे। 'ऑपरेशन जागृति' अभियान को लेकर आम जनमानस में काफी उत्साह है और उनके द्वारा इस कार्यक्रम की सराहना की जा रही है। ग्राम पंचायत स्तरीय जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान कई 'सक्सेस स्टोरीज़' प्राप्त हुई है, जिनसे पता चला कि 'ऑपरेशन जागृति' के कार्यक्रमों से प्रेरणा लेते हुये कतिपय शिकायतकर्ताओं द्वारा जो बढा–चढा कर अभियोग पंजीकृत कराने का प्रयास किया गया था उनको वापस लिया गया। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इस अभियान के प्रति अत्यन्त सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित किया जा रहा है एवं अच्छा कवरेज किया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर भी इसको अच्छा रिस्पॉस प्राप्त हो रहा है। विभिन्न सोशल मीडिया Platforms जैसे X(twitter), facebook, instagram इत्यादि के माध्यम से लगभग 6738 पोस्ट की गयी है, जिसमें 32 लाख से अधिक views प्राप्त हुये है। बड़ी संख्या में like, share, retweet किये गये है। 'ऑपरेशन जागृति' के तहत चलाये जा रहे जागरूकता कार्यक्रम के परिणामस्वरूप आगरा जोन के जनपदों में महिला अपराधों में कमी आयी है। इस अभियान से प्रभावित होकर अब तक जनपद अलीगढ़–11, एटा–14, हाथरस–06, कासगंज–01, मथुरा–13, फिरोजाबाद–26 एवं मैनपुरी–01 में Success Stories प्राप्त हुयी हैं, जिसमें महिलाओं/बालिकाओं द्वारा सत्यता के आधार पर बयान अंकित कराते हुए पूर्व में लगाये गए झूठे आरोपों को खारिज किया गया। पूरे जोन में महिला सम्बन्धी अभियोगों के पंजीकरण की दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गयी है। ऑपरेशन जागृति को निरन्तरता प्रदान करने हेतु ग्राम, पंचायत/वार्ड स्तर पर 'जागृति समितियों' का गठन कर जागृति चौपालो का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है।

ऑपरेशन जागृति के फेज–02 में आगरा जोन की कम से कम 40% ग्राम पंचायतों, ईंट भट्टे पर रह रहे परिवार, OYO होटल के स्टाफ, रेलवे कॉलोनी आदि का कवरेज भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ऑपरेशन जागृति प्रथम चरण के डाटा के आधार पर हॉटस्पाट चिन्हित करते हुए द्वितीय चरण का क्रियान्वयन प्रभावी ढ़ग से किया जा रहा है। जिससे महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को और भी सुदृढ़ बनाया जा सके।

Assessment of Operation Jagriti:
Empowering Women and Girls for Safety

जागृति
unicef
for every child
ऑपरेशन जागृति (फ़ेज-2)
24 जून 2024 से 13
जिला स्तरीय
आयोजक : पुलिस

Date–28.06.2024
Press Release 36(A)/2024

Headquater, Director General of Police, Uttar Pradesh

The Director General of Police, Uttar Pradesh, received the "Impact Assessment Report" booklet, prepared by the Director of IIM Indore, regarding "Operation Jagriti."

On 28.06.2024 Shri Prashant Kumar, Director General of Police, Uttar Pradesh was provided with the booklet of "Impact Assessment Report" prepared by Director IIM Indore in relation to "Operation Jagriti" by Mr Naveen Krishna Rai of IIM Indore. Praising "Operation Jagriti", Director General of Police, Uttar Pradesh said that such programs increase awareness among women and girls about crimes against women and have a positive impact on the safety and empowerment of women.

The Third Party Impact Assessment of Phase-01 of 'Operation Jagriti' was conducted by Professor Himanshu Rai, Director of IIM Indore. The above assessment report has been prepared with the help of Dr. Bhawani Shankar, Dr. Shivani Sharma and Naveen Krishn Rai of IIM Indore. IIM Indore deployed research teams to survey seven districts in the Agra region.

The assessment report by IIM Indore notes that "Based on the evaluation of Operation Jagriti, it can be concluded that Operation Jagriti has made a significant positive impact on women's safety and empowerment at the grassroots level. Operation Jagriti ensured a wide and effective reach to the weaker sections of the society using vanguard staff of various departmets such as Beat Constables (Police Department), ASHAs (Health Department), Teachers (Education Department), Panchayat Secretaries (Panchayat Department) etc. and as a by-product also created harmonious coordination between all government departments. There was a clear role for each employee of different departments and an ongoing feedback mechanism. Success stories and wider media emerged during the program. The accolade indicates the impact of this program." Based on the suggestions given in the IIM Indore Assessment Report, the implementation of the programs of Phase-02 of Operation Jagriti is currently underway.

With the inspiration of Honourable Chief Minister Uttar Pradesh and under the guidance of DGP Uttar Pradesh, Mission Shakti campaign was launched in four phases in Uttar Pradesh which resulted in significant decline

in violence and crime against women. Taking inspiration from Mission Shakti campaign, ADG Agra zone launched Operation Jagriti.

'Operation Jagriti' (Intensive Community Outreach for Empowering Women & Girls for Safety and Awareness) program at Agra zone level is

being conducted by the police in coordination with UNICEF along with other concerned departments like Health, Education, Rural Development, National Rural Livelihood Mission (NRLM), Women and Child Development, (ICDS), Youth and Sports Department, psychologists/ counselors. It is focussed on 04 main objectives- to provide support/ counselling to women victims of crime; to make people aware of the adverse consequences of using women as shields to register false cases in land and property matters; to make young men and women and their parents aware about elopement, love relations and gender harassment and to provide them counselling; to create awareness about the dangers of cyber bullying and cyber crime.

With the above four objectives, 'Operation Jagriti' was implemented to create awareness and motivation & provide support/counselling to the target population through extensive outreach in all the 3924 Gram Panchayats and all the schools-colleges and urban wards/slums of Agra Zone. Phase-01 of this campaign was formally launched on 01 November 2023 from Mathura district and then after district level and block level training, implementation was started at Gram Panchayat/School-College/Urban Ward level. Phase-01 of this campaign was implemented between 01.11.2023 to 24.01.2024 and Phase-02 of this campaign is being implemented between 24.06.2024 to 13.07.2024.

Under 'Operation Jagriti', more than 13 lakh people, mainly women and youth, have been made aware through grassroot community outreach programs in all 3924 gram panchayats, 2100 schools and more than 1600 urban wards of the zone. As per the data collected through Geo tagging in all 07 districts of Agra Zone, more than 12 lakh people participated, including 3,53,355 girls below 18 years of age, 2,99,119 boys below 18 years of age, 3,36,168 women above 18 years of age and 2,60,138 boys above 18 years of age. Many 'success stories' have been received during Gram Panchayat level awareness programmes, which revealed that 'Taking inspiration from the programs of Operation Jagriti, many complainants have withdrawn false complaints.

Program has received good response on social media as well. About 6738 posts have been made through various social media platforms like X(twitter), Facebook, Instagram etc., in which more than 32 lakh views have been received. A large number of likes, shares and retweets have been done.

As a result of the awareness program being run under 'Operation Jagriti', crimes against women have decreased in the districts of Agra zone. Influenced by this campaign, many success stories have been received so far in districts Aligarh-11, Etah-14, Hathras-06, Kasganj-01, Mathura-13, Firozabad-26 and Mainpuri-01, in which women/girls have withdrawn their false allegations made earlier. A significant decline has been recorded in the crime rate against women in the entire zone. To provide sustainability to Operation Jagriti, Jagriti chaupaals are being organized regularly by forming 'Jagriti Committees' at village, panchayat/ward level.

Operation Jagriti Phase 2 aims to ensure coverage of at least 40% gram panchayats of Agra zone, families living around brick kilns, staff of OYO hotels, railway colonies etc. On the basis of data from the first phase of Operation Jagriti, hotspots have been identified to ensure more effective implementation and further strengthen women's security and empowerment .

दिनांक 28.06.2024
प्रेस विज्ञप्ति 37/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना दादरी</u>

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 03 लाख 10 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 27.06.2024 की रात्रि थाना दादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एनटीपीसी कट रूपवास रोड गाड़ी पार्किंग के पास से 04 अभियुक्तों 1–अमन 2–रवि 3–मुकुल 4–सुकिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 03 लाख 10 हजार रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 27.06.2024 को थाना दादरी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमा"ाों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दादरी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना दादरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अमन निवासी हालपता–शिवा फिल्म सिटी धूममनिकपुर थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर मूलपता–ग्राम हरिनारायण पुरवा थाना बढगॉव जनपद गोण्डा।

2–रवि निवासी हालपता–शिवा फिल्म सिटी धूममनिकपुर थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर मूलपता–ग्राम हरिनारायण पुरवा थाना बढगॉव जनपद गोण्डा।

3–मुकुल निवासी बढपुरा थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

4–सुकिल निवासी बढपुरा थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 03 लाख 10 हजार रूपये नगद।

जनपद हापुड़/थाना हापुड़ देहात

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के 09 लाख 16 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के रूपये से खरीदे गये 02 मोबाइल फोन**
- **02 अन्य मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल(बिना नम्बर) बरामद**

दिनॉकः 27.06.2024 को थाना हापुड़ देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एनएच–9 पर मेरठ कट के पास से 03 अभियुक्तों 1–आलोक 2–अमन 3–अभिषेक को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 09 लाख 16 हजार रूपये नगद, चोरी के रूपये से खरीदे गये 02 मोबाइल फोन, 02 अन्य मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल(बिना नम्बर) बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 20.06.2024 को थाना हापुड़ देहात क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आलोक निवासी महादेव चौक राणा पट्टी कस्बा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

2–अमन निवासी मोहल्ला गढ़ी कस्बा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

3–अभिषेक निवासी मोहल्ला गढ़ी कस्बा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

बरामदगी

1–चोरी के 09 लाख 16 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के रूपये से खरीदे गये 02 मोबाइल फोन।

3–02 अन्य मोबाइल फोन।

4–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल(बिना नम्बर)।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना रतनपुरी

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के 39 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 28.06.2024 को थाना रतनपुरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रजवाहे पुलिया के पास से 03 अभियुक्तों 1–शिवम 2–मोहित 3–राज को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 39 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 19.06.2024 को थाना रतनपुरी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमा"ाों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रतनपुरी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रतनपुरी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ि"ावम निवासी ग्राम गोयला थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

2–मोहित निवासी ग्राम गोयला थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

3–राज निवासी ग्राम गोयला थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–लूट के 39 हजार रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

3–02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना जोगिया उदयपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त सहित 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये सोने के आभूषण**
- **लूट के 6200/–रूपये नगद**
- **लूट के 05 मोबाइल फोन, 02 एटीएम कार्ड**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 28.06.2024 को थाना जोगिया उदयपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बांसी–नौगढ़ मार्ग पर ककरही पुल के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–राम गुलाम 2–जितेन्द्र 3–रामदीन घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशादेही पर अभियुक्त 4–अमन कुमार 5–गोलू उर्फ मिथुन को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये सोने के आभूषण, लूट के 6200/–रूपये नगद, लूट के 05 मोबाइल फोन, 02 एटीएम कार्ड, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना जोगिया उदयपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राम गुलाम निवासी कोटिया थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

2–जितेन्द्र निवासी तकीयहवा थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

3–रामदीन निवासी डडिया सुपा राजा थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

4–अमन कुमार निवासी व थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

5–गोलू उर्फ मिथुन निवासी बिटिया राजा थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी

1—लूटे गये सोने के आभूषण।

2—लूट के 6200/—रूपये नगद।

3—लूट के 05 मोबाइल फोन, 02 एटीएम कार्ड ।

4—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल ।

5—03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना कृष्णानगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण**
- **11 हजार 600 रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 28.06.2024 को थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पकरी पुल तिराहे से 02 अभियुक्तों 1—रमिल 2—रहिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण, 11 हजार 600 रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कृष्णानगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कृष्णानगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रमिल निवासी ढोल वाली गली नट बस्ती आजाद नगर थाना कृष्णानगर, लखनऊ।

2—रहिल निवासी ढोल वाली गली नट बस्ती आजाद नगर थाना कृष्णानगर, लखनऊ।

बरामदगी

1—चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण।

2—11 हजार 600 रूपये नगद।

जनपद बागपत/थाना खेकड़ा

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 28.06.2024 को थाना खेकड़ा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त 1–सन्नी उर्फ मोहित 2–हारून घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सन्नी उर्फ मोहित के विरूद्ध जनपद बागपत के थाना खेकड़ा पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सन्नी उर्फ मोहित निवासी पट्टी मुण्डाला थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2–हारून निवासी पाठशाला रोड कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद झॉसी/थाना मऊरानी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी/धोखाधड़ी के 01 लाख 45 हजार 400 रूपये नगद**
- **विभिन्न बैको के 66 एटीएम कार्ड बरामद**

दिनॉकः 27.06.2024 की रात्रि थाना मऊरानी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पेट्रोल पम्प के पास से अभियुक्त रवि को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त

के कब्जे/निशादेही से चोरी/धोखाधड़ी के 01 लाख 45 हजार 400 रूपये नगद, विभिन्न बैंकों के 66 एटीएम कार्ड बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना मऊरानी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रवि निवासी ग्राम कौआ थाना करछना, प्रयागराज।

बरामदगी

1–चोरी/धोखाधड़ी के 01 लाख 45 हजार 400 रूपये नगद।

2–विभिन्न बैको के 66 एटीएम कार्ड।

- **जनपद उन्नाव/थाना सफीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना सफीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों 1–पप्पू उर्फ सुनील 2–शिव 3–अमित कुमार को आजीवन कारावास व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फतेहपुर/थाना धाता (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 13 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना धाता पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/306 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त संतलाल को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 13 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 50 लाख 72 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस ने अभियुक्त प्रेम सिंह पुत्र बादल सिंह निवासी मुण्डाखेड़ा थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 50 लाख 72 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

———————